DR. RAM PRAKASH: Then, why is this statement there? It should be modified. Please read the question. ...(Interruptions)...

SHRI KAPIL SIBAL: If you allow me to answer the questions ...(Interruptions)... Sir, only institutions of higher learning can become deemed Universities. For example, there is a college in Tamil Nadu, which is affiliated to a university. It is an institution of higher learning. It wants to disaffiliate itself from that university and wants to be a deemed university. Then it applies to the Government and says that I am an institution of higher learning and I want to be a university. The UGC has certain regulations. It inspects the college and then decides....(Interruptions)...

डा. राम प्रकाश : यह मेरा सवाल ही नहीं है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: No interruptions, please.

श्री कपिल सिबल : आप ही ने दो सवाल पूछे थे, I am answering both. Therefore, those colleges can become deemed to be universities. Now the question is, whether they can use the word 'university.' Yes, they can. The only thing is that they have to indicate underneath by which notification they have been constituted as deemed to be universities. We have written a letter dated 13th September 2006 to all deemed to be universities saying that they can use the word "university" provided they indicate that they have been established under section 3, vide notification such and such, and for Central or State Universities established either by Parliament or State Legislature, the year of notification. So, all institutions of higher learning, which are deemed to be universities, established by a particular notification, must notify when they advertise by which notification they have been declared as deemed to be universities.

MR. CHAIRMAN: Question No. 45.

DR. N. JANARDHANA REDDY: I am a new Member. I have been raising my hand.

MR. CHAIRMAN: Yes, Sir. We will have a detailed discussion and you will get an opportunity, because I cannot take up more than three supplementaries.

DR. N. JANARDHANA REDDY: Kindly permit me also.

MR. CHAIRMAN: Please be patient. I understand your anxiety. We will find a solution to it.

DR. N. JANARDHANA REDDY: Since morning I have been raising my hand. I do not know how my name is missing.

Expansion of NREGS

*45. SHRI MAHENDRA MOHAN: ††
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government proposes to expand the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) and is working towards increasing the number of days of guaranteed employment under the Scheme;

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Mahendra Mohan

- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the task force to study the feasibility and financial impact of increasing the number of work days under the Scheme has since submitted its report to Government; and
- (d) if so, by when a decision is likely to be taken and the steps taken to make the Scheme more effective?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI C.P. JOSHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) NREGA has been extended to cover entire rural areas of the country with effect from 1.4.2008. At present there is no proposal under consideration of the Government regarding increasing the number of days of guaranteed employment under the Act.

श्री महेन्द्र मोहन: सभापित महोदय, इससे पहले कि मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछूं, सर्वप्रथम में माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने नरेगा के लिए बजट में 16 हजार करोड़ रुपए से बढ़ा कर 39 हजार 1 सौ करोड़ रुपए sanction किए हैं और 114 प्रतिशत की वृद्धि की है। लेकिन नरेगा का जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न था कि नरेगा के माध्यम से जो 100 दिन का रोजगार मजदूरों को दिया जाना था, उसमें क्या प्रगति हो रही है और किस प्रकार का कार्य चल रहा है। मेरे पास जो data आया है, उसके हिसाब से मजदूरों को एक वर्ष में केवल 48 दिन कार्य मिल पा रहा है। इसमें अधिकतम राजस्थान में 76 दिन मिला है और केरल में केवल 22 दिन का कार्य मिल रहा है। इसके अलावा मजदूरों तक नरेगा का जो फायदा पहुंचना चाहिए था, वह नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह उनकी जानकारी में है कि नरेगा के जो कार्ड्स दिए जाते हैं, जिनको रखने की जिम्मेदारियां जिन सरकारी प्रधानों को दी गई है, वे उसका misuse करते हैं। वे उन कार्ड्स पर एक-दो दिन का कार्य देते हैं और 50 दिन का पेमेंट दिखाते हैं या वहां पर दलाली ली जा रही है।

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री महेन्द्र मोहन: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस संबंध में कितने fake cards जारी किए जा रहे हैं? आप उनको 100 दिन का रोजगार कब दे पायेंगे? अगर इसको आगे बढ़ाने का आपका उद्देश्य नहीं है, तो आप उन मजदूरों को कम-से-कम 100 दिन का रोजगार कब तक दिला पायेंगे और कितने fake cards दिए गए हैं?

श्री सी.पी. जोशी: माननीय सभापित महोदय, वर्ष 2006-07 में इसका average 43 days आया है, 2007-08 में average 42 days आया है और 2008-09 में average 48 days है। तीन सालों में पूरे हिन्दुस्तान में स्कीम लागू करने के बाद average 100 days नहीं हो रहा है। मान्यवर, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि बिहार जैसी स्टेट में 2006-07 में average 35 days है, 2007-08 में 22 days है और 2008-09 में 26 days है। मध्य प्रदेश जैसी स्टेट में 2006-07 में average 69 days है, 2007-08 में 63 days है और 2008-09 में 57 days है।

The third State I am citing is Orissa where in 2006-07, the average was 57 days; in 2007-08, the average was 37 days; and in the year 2008-09, the average was 37 days.

In the State of West Bengal, in the year 2006-07, the average was only 14 days; in the year 2007-08, it was only 25 days; and in the year 2008-09, it was twenty six days. ...(Interruptions)... इसलिए नरेगा का 100 days का जो concept है ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Silence, please. ...(Interruptions)... Order, please. ...(Interruptions)... Second supplementary.

श्री महेन्द्र मोहन: माननीय सभापित महोदय, आपके माध्यम से मेरा यही तो प्रश्न था कि जो 100 दिन रोजगार देना था, वह इतना कम क्यों दिया जा रहा है और वे इसको कैसे सुधारेंगे। वे वही जानकारी दे रहे हैं, तो मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न फिर से fake cards के बारे में है। अभी समाचार-पत्रों में हम लोगों ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के अन्दर * तथा इस प्रकार के नामों पर fake cards issue किए गए और नरेगा के नाम पर पैसा लिया गया। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: No names, please. ...(Interruptions)... This will not go on record. ...(Interruptions)... This will not go on record. ...(Interruptions)...

SHRI MAHENDRA MOHAN: I withdraw the name. मैं तो सरकारी मशीनरी के बारे में बता रहा हूं। मैं नाम वापस लेता हूं।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सप्लीमेंटरी पूछिए relating to the question. ...(Interruptions)...

श्री महेन्द्र मोहन : महोदय, मैं नाम वापस लेता हूं, लेकिन ...(व्यवधान)... मैं एक उदाहरण दे रहा था कि सरकारी तंत्र ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please observe the practice of the House. ... (Interruptions)...

श्री महेन्द्र मोहन: सर, मैं नाम वापस लेता हूं, लेकिन सरकारी तंत्र से जो fake cards दिए जा रहे हैं, उन fake cards ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप सवाल पृछिए, भाषण मत दीजिए।

श्री महेन्द्र मोहन: माननीय सभापति जी, जो मेरा सवाल था, उसका जवाब तो मिला नहीं। मेरा सवाल यह है कि कितने fake cards हैं, जो जनता को दिए गए ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Prof. Kurien, please. ... (Interruptions)...

श्री महेन्द्र मोहन: माननीय सभापति जी, जो 39,100 करोड़ रुपये नरेगा के नाम पर दिए गए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आपका सप्लिमेंट्री सवाल क्या है?

श्री महेन्द्र मोहन : मेरा प्रश्न यह है कि सभी लोगों तक वह रुपया कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या नियम बनाए जा रहे हैं? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Silence please. ... (Interruptions)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: How many days in Tripura? You please mention that....(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Vijayaraghavan, please do not interrupt. ... (Interruptions)...

श्री महेन्द्र मोहन: सही लोगों तक यह पैसा कैसे पहुंचे ...(व्यवधान)... नरेगा के नाम पर ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Vijayaraghavan, will you please resume your place? ...(Interruptions)...

SHRI C.P. JOSHI: Please, do not be agitated. ... (Interruptions)...

Not recroded

MR. CHAIRMAN: Please. ... (Interruptions)...

श्री महेन्द्र मोहन : ग्रामीण मजदूरों को नरेगा का लाभ कैसे मिलेगा ...(व्यवधान)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, he is using it for political purpose. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I am afraid. ...(Interruptions)... The hon. Member shall resume his place. ...(Interruptions)... Please do not interrupt. ...(Interruptions)... I am afraid, this is not on. ...(Interruptions)... Please resume your place. ...(Interruptions)...

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, it is absolutely wrong. ...(Interruptions)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, I have a right to speak. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I have not permitted you to speak. ...(Interruptions)... Mr. Moinul Hassan, please resume your place. ...(Interruptions)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: What is the performance in Tripura? ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Will you please resume your place? ...(Interruptions)... Will you please stop bobbing up like a spring? ...(Interruptions)...

श्री महेन्द्र मोहन : सर, मेरा संक्षिप्त सवाल है कि ...(व्यवधान)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: What is the performance in Tripura? Let the Minister say. No, no. Let him say as to what is the performance in Tripura.

MR. CHAIRMAN: Will you please resume your place? ...(Interruptions)... Please do not interfere....(Interruptions)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, this is a very important thing. He is using it for political purpose. ... (Interruptions)... What is the performance in Tripura?

श्री महेन्द्र मोहन : सर, मेरा संक्षिप्त सवाल है कि ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Gentlemen, let me make one position clear. This House will run according to its rules. If you want to have an altercation, please step outside in the Lobby and carry on. But, this is not permissible. Will you please ask your second supplementary? Please do not make a speech.

श्री महेन्द्र मोहन : ठीक है, सर।

सभापित जी, मेरा बहुत संक्षिप्त सवाल है कि वित्त मंत्री जी ने 39,100 करोड़ रुपए नरेगा में ग्रामीण मजदूरों के लाभ के लिए निर्धारित किया है। उसको कैसे सही रूप से वितरित किया जाएगा, उससे कैसे कम-से-कम सौ दिनों का रोजगार लोगों को दिया जाएगा?

श्री सी.पी. जोशी: माननीय सभापित महोदय, नरेगा को इम्प्लिमेंट करने का काम as per constitution स्टेट्स का है। स्टेट्स को इस बारे में कदम उठाने हैं। फिर भी इसकी ट्रांस्पैरेंसी को मेनटेन करने के लिए भारत सरकार ने उनको गाइडलाइन्स दिए हैं कि जो पेमेंट होनी चाहिए, वह बैंक के माध्यम से होनी चाहिए, डाकघर के माध्यम से होनी चाहिए। हमने पेमेंट को एश्योर करने के संबंध में पूरे कदम उठाए हैं। हमने NIC का मॉडल बनाया है।

हमें NIC के माध्यम से सूचना आ रही है कि कौन आदमी कहां काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। लेकिन, माननीय सभापित महोदय, यह बात सही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जिस ढंग से इसमें काम करना चाहिए, वह काम करने में वे असफल रही हैं। अभी त्रिपुरा वाले हमारे माननीय सदस्य बहुत एजिटेट हो रहे हैं, तो मैं उनकी भी जानकारी ठीक कर देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में 2006-07 में एवरेज 67 था, 2007-08 में वह 43 था और 2008-09 में वह 64 था। So, don't be touchy about it. Your own State is unable to complete 100 days. Why are you getting so agitated about it? Sir, this scheme is a demand-driven scheme. वहां पर जितना डिमांड जेनरेट होता है, उतना पैसा भारत सरकार दे रही है। Unfortunately, States where large number of poor people are living are not catering to the needs of the poor people. We are providing money, but, they are unable to do the work which they are supposed to do. मुझे आशा है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है, अपनी-अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के संबंध में, हम जितना ज्यादा इस बारे में चिन्तित होंगे, उनकी मोनिटरिंग करने का काम करेंगे, उतनी गरीब आदमी की मदद होगी। भारत सरकार इस स्कीम को बहुत अच्छे ढंग से लागू करना चाहती है, गरीब आदमी की मदद करना चाहती है और इसीलिए इस बारे में उसका एलोकेशन बढ़ा है। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Thank you, Sir. Sir, it is a very good programme of inclusiveness, but the main problem is the delivery. Also, there is no clarity. I would like to know from the Minister why there is no clarity on the kind of jobs that are going to be created. Very often, the nature of jobs comes on the basis of the expediency of immediate employment, as opposed to the logic of trying to provide a job for sustainable natural resource development. There is no visible asset that is seen and that does not lead to any sustained livelihood. The Ministry has also undertaken a pilot project with ICAR. I would like to know from the Minister how far has that project gone and what are his views on convergence with the various Ministries, whether it is the Ministry of Water Resources or whether it is the Ministry of Environment and Forests, is he going to take a more holistic approach? By when would such plans on convergence actually be implemented so that we get better benefits?

SHRI C. P. JOSHI: Mr. Chairman, Sir, as per the provisions of the Act, section 1, Schedule 1, there are few activities which are already listed. Number 1, water conservation and water harvesting, drought proofing, irrigation canal including micro and minor irrigation works, provision of irrigation facilities, horticulture plantation and land development facilities on land owned by the households belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or to the below poverty line families, to the beneficiaries of the land reforms, to the beneficiaries under the Indira Avas Yojana of the Government of India, renovation of traditional Water Bodies including desilting of tanks, land development, flood control and protection works including drainage in water logging areas, dual connectivity to provide all-weather access and any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Governments. These are the provisions which are already mentioned in Schedule-1. But I am aware about this that we require a holistic approach, and I can only assure the

House that we are seized with this problem, and at the earliest, we will come out with the holistic approach so that we will be able to cater to the needs of the entire poor people of the country.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, other than those people who do hard work, those people who are weavers, potters, blacksmiths, they can also have some job opportunities. It would be better if some steps are taken to give job opportunities to these persons also to make the scheme more effective. I would like to know whether the Government is proposing to take initiative in this respect. If not, the reasons therefor?

श्री सी.पी. जोशी: सभापित महोदय, यह बात सही है कि व्यक्तिगत तौर पर जितना लाभ इन्हें देना है, वह नहीं हो पा रहा है। अभी हमने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर confine किया है, लेकिन जैसािक माननीय सदस्य ने कहा है we are thinking very seriously because इसमें नेशनल लिवलीहुड मिशन का एक concept और भी है और नेशनल लिवलीहुड मिशन में इस तरह के जो artisans हैं, उनको उनमें ट्रेनिंग दिलाकर उनकी स्कीम का enhancement करने का काम करेंगे। फिर भी चूंकि हम इसके स्कोप को एनलार्ज करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने बात कही है उसके बारे में सोचकर जब हम यह निर्णय करेंगे तब इसका भी ध्यान रखेंगे।

श्रीमती विष्नव ठाकुर: सर, शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। माननीय मंत्री जी ने जो यहां काम बताए हैं और उनमें जो 40 और 60 का रेशियो है, जिसमें 40 परसेंट material होगा और 60 परसेंट लेबर का रेशियो है, उसमें कई बार बहुत मुश्किलातें आ रही हैं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने irrigation का बताया, पानी के रिसोर्सेस को ठीक करने के बारे में बताया है, वहां हमको material ज्यादा चाहिए। क्या सरकार इस बारे में सोच रही है कि 50-50 ratio कर दिया जाए और क्या उसके लिए आप कोई instructions देंगे? दूसरे इसमें जो monitoring होती है, क्या वह सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी होती है या केवल स्टेट गवर्नमेंट ही करती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की monitoring ठीक नहीं होती है। जिस तरह से कहा गया कि "नरेगा" का काम प्रधान के ऊपर ही रह गया है और वह आम लोगों तक नहीं पहुंच सका है, क्या आप इसमें भी improvement लाएंगे?

श्री सी. पी. जोशी: माननीय सभापित महोदय, बेसिकली यह प्रोग्राम सप्लीमेंटरी मींस ऑफ लिवलीहुड के लिए हैं, इसलिए material component के संबंध में Act में प्रोवीजन किया है कि [] मनी भारत सरकार देगी और [] मनी स्टेट गवर्नमेंट मैच करेगी। भारत सरकार द्वारा 40 परसेंट मनी देने के पीछे मंशा यह है कि कुछ assets create हो सके, लेकिन हमारा main stress उनका source of लिवलीहुड बढ़ाने के लिए है, सप्लीमेंटरी इनकम देने के लिए है। लेकिन, यदि स्टेट गवर्नमेंट्स आगे आकर यह बात कहे कि हम dovetail करना चाहते हैं, तो जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो इस बारे में भी ध्यान रखेंगे कि हमारे द्वारा इसमें [] पैसा देने के बाद यदि स्टेट गवर्नमेंट्स अपना खुद का पैसा देकर dovetail करना चाहे तो भारत सरकार इसके बारे में सोचेगी। अभी हमारा trust केवल इतना है कि उनकी supplementary income generate हो। उस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, कल ही माननीय वित्त मंत्री जी ने मजदूरों की वेजेज़ को सौ रुपये करने की बात कही है। क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि देश के कई राज्यों में मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी है वह 120 रुपये के लगभग है? अगर यह 120 रुपये है, तो आपके इस नरेगा में 100 रुपये में कौन काम करेगा? मेरे सवाल का पहला हिस्सा यह है। सर, दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को रोजगार देने की बात की जाती है, उनको

उनका हिस्सा मिल ही नहीं पाता है। बड़े पैमाने पर मशीनों से काम होता है। यह जानकारी आपके नॉलेज में भी आई होगी। फर्जी मस्टर रोल्स बनाये जाते हैं और उन मस्टर रोल्स के आधार पर पेमेंट की जाती है। अगर आपको इस तरह की जानकारी है तो इसको रोकने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि जब तक इसे नहीं रोकेंगे तब तक बहुत अच्छा उद्देश्य होने के बाद भी यह योजना सही रूप में क्रियान्वित नहीं हो सकती।

श्री सी. पी. जोशी: माननीय सभापित महोदय, मैं कुछ स्टेट्स के नाम लूंगा जहां 100 रुपये से कम मजदूरी है। वे राज्य हैं - असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, तिमलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये वे प्रदेश हैं, जहां कम से कम 100 रुपये से कम की मजदूरी का प्रावधान है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि 120 रुपये मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। इसीलिए कल वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है...

प्रो. राम गोपाल यादव: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है?

श्री सभापति : पहले सुन लीजिए।

श्री सी. पी. जोशी: पंजाब में होशियारपुर, जालंधर और नवांशहर में 100 रुपये से कम है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां 100 रुपये हैं। बंगाल और त्रिपुरा में 100 रुपये भी नहीं हैं। पूरे हिन्दुस्तान में 15 से ज्यादा ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर 100 रुपये की मिनिमम मजदूरी नहीं है। आप जो 120 रुपये की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी 120 रुपये की मजदूरी नहीं है। आप जो कह रहे हैं - हमें इस बात की जानकारी है। इसलिए भारत सरकार ने - कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार पर कल वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम 100 रुपये की मिनिमम मजदूरी देंगे। This is the assurance of our party. ये 15 स्टेट्स जहां 100 रुपये से कम पैसा मिल रहा है, उसको भी हम 100 रुपये कर रहे हैं जिसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। जहां तक इस शिकायत का सवाल है, इस शिकायत के संबंध में भारत सरकार चिन्तित है। स्टेट गवर्नमेंट्स को जितनी effective monitoring करनी चाहिए, वे उतनी effective monitoring नहीं कर रही हैं। माननीय सदस्य स्वयं यह कह रहे हैं कि मशीन का उपयोग हो रहा है। फर्जी जॉब कार्ड बन रहे हैं। इस जानकारी को ठीक करने के लिए हम शीघ्र ही ombudsman का एक नया concept ला रहे हैं जिसमें punishment भी मिलेगा। हम punitive actions भी लेंगे और corrective measures भी लेंगे जिससे यह काम ठीक ढंग से चल सके। इस संबंध में शीघ्र ही हम आपके सामने नया नियम बनाकर लाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Q.46 ...(Interruptions)... Please don't agitate for that ...(Interruptions)... Q.46.

Joint Venture of BHEL and NTPC

*46. SHRI PRASANTA CHATTERJEE: SHRI TAPAN KUMAR SEN:

Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Prashant Chatterjee